



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जा-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119

EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN

WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/10333-643

दिनांक -17/06/2025

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत वृक्षारोपण अभियान हेतु वर्ष 2025-26 में कराये जाने वाले सघन वृक्षारोपण के संबंध में।

संदर्भ:-विभागीय आदेश क्रमांक एफ.56 (क) (21514) CE/DLB/MSRGY/2025/5197-5505 दिनांक 17.04.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र दिनांक 17.04.2025 द्वारा "हरियालो राजस्थान" अभियान अन्तर्गत नगरीय निकायों के वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध चरणों में तैयारियां सुनिश्चित करते हुए वृक्षारोपण कार्य हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त क्रम में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु नगरीय निकायों द्वारा स्थल चयन हेतु निम्न स्थानों का चिन्हिकरण कर सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है:-

1. विकसित पार्कों में वृक्षारोपण की सघनता में वृद्धि की जावे तथा अनुमोदित योजनाओं में प्रस्तावित पार्कों हेतु आरक्षित भूमि में सघन वृक्षारोपण किया जावे।
2. अनुमोदित योजनाओं में सुविधा क्षेत्र, इन्फोरमल कॉमर्शियल एवं टोस कचरा प्रबंधन हेतु आरक्षित भूमि (चाहे उक्त सुविधा क्षेत्र का आवंटन नहीं किया गया हो) के बाउण्ड्रीवाल के समीप सेटबेक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावे।
3. मास्टर प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर Plantation Zone में वृक्षारोपण किया जावे।
4. मास्टर प्लान में आमोद-प्रमोद (Recreational) भू-उपयोग हेतु आरक्षित राजकीय भूमि यथा पार्क, ओपन स्पेस आदि में सघन वृक्षारोपण किया जावे। विकसित खेल मैदान अथवा खेल मैदान हेतु मास्टर प्लान में आरक्षित राजकीय भूमि में सेटबेक क्षेत्र में एवं प्ले-एरिया को छोड़ शेष भागों में सघन वृक्षारोपण किया जावे।
5. मेला मैदान में टेंट/झूले/मेले हेतु प्रस्तावित स्थलों को छोड़ शेष भागों एवं बाउण्ड्री के समीप सघन वृक्षारोपण किया जावे।
6. नगरीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों, चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों, पार्किंग स्थलों, शॉपिंग सेन्टर, चौक, धार्मिक स्थलों, शमशान/कब्रिस्तान आदि में निर्मित भवन व निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों तथा अन्य उपयोगी क्षेत्रों को छोड़ शेष भागों में तथा सेटबेक क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जावे।
7. FSTP/STP Sites, Landfill Sites, MRF Centres, Processing Plant, Legacy Waste Site इत्यादि स्थलों को चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.06.17 12:56:15 IST
Reason: Approved



8. नगरीय क्षेत्रों में स्थित Water Bodies के चारो ओर, नदी/नालों के बहाव क्षेत्र को छोड़कर दोनो ओर, तालाब की पाल आदि स्थलों पर उपलब्ध भूमि को चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जावे।
9. शहर की सड़कों के साईड पेवमेंट पर यथासंभव वृक्षारोपण किया जावे। पेवमेंट में वृक्षारोपण करते समय पैदल यात्री के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होने की सुनिश्चितता की जावे।
10. निकाय द्वारा नगरीय क्षेत्र में यथा संभव न्यूनतम 5 एकड़ (2 हैक्टेयर) भूमि अरबन फोरेस्ट (Urban Forest) / सघन वन क्षेत्र (Dense Forestation) हेतु चिन्हित कर सघन वृक्षारोपण किया जावे।
11. निकाय द्वारा चिन्हित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया जावे।

अतः हरियाली राजस्थान अभियान के तहत आगामी मानसून ऋतु में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तावित स्थलों/क्षेत्रों का चयन कर निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करवाते हुए अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाया जाना सुनिश्चित करावें।

(इंद्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक - 17/06/2025

क्रमांक:एफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/10644-657

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक (MSRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक (प्रशासन), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना सम्भाग की नगरीय निकायों से कराते हुए पूर्व में वृक्षारोपण सूचना हेतु निर्देशित निदेशालय स्तर की गूगल ड्राईव पर प्रतिदिन प्रगति अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र अजमेरा)

मुख्य अभियन्ता

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.06.17 12:56:15 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID:- MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :- www.msrgy.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ56(क)(21514)/CE/DLB/MSRGY/2025/ 5197-5505

दिनांक 17.04.2025

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-हरियालो राजस्थान अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान हेतु वर्ष 2024-25 में कराये गये कार्यों की प्रगति सूचना तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कराये जाने वाले वृक्षारोपण एवं "सघन वन क्षेत्र (Dense Plantation)" की तैयारियों के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-1. गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण हेतु निदेशालय का पत्रांक 13026-13299 दिनांक 08.08.2024, 10271-10545 दिनांक 12.07.2024, 9815-10089 दिनांक 04.07.2024, 9097-9371 दिनांक 03.07.2024, 8169-8450 दिनांक 18.06.2024, 7528-7534 दिनांक 10.06.2024, 7117-7391 दिनांक 29.05.2024, 5629-5868 दिनांक 22.05.2024, 14032-14365 दिनांक 23.08.2024 के क्रम में।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियालो राजस्थान अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु निदेशालय का पत्रांक 17312-584 दिनांक 17.10.2024 के क्रम में।

सन्दर्भ:-1. विशिष्ट शासन सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान का बैठक सूचना क्रमांक पीएस/SSF&E/2025 दिनांक 04 मार्च, 2025 के क्रम में।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ(0)2024-25/हरियालो राजस्थान/विकास/प्रमुख सं/18803 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग क्रमांक राजकाज 08061 दिनांक 02/01/2025 के क्रम में।

4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान का अर्द्धशासकीय पत्रांक प.10(18)वन/2024-08061 दिनांक 09.04.2025 के क्रम में।

5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान का पत्रांक एफ(0)2024-25/हरियालो राजस्थान/विकास/प्रमुखस/ दिनांक 01.04.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान "हरियालो राजस्थान" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा नगरीय निकायों से प्राप्त सूचनानुसार 51.67 लाख पौधारोपण किया गया है। उक्त संदर्भित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार निकायों द्वारा भारत सरकार की "मेरी लाईफ पोर्टल (merilife.nic.in)" पर वृक्षारोपण कार्यों की वांछित सूचना अपलोड किया जाना है तथा गत वर्ष किए गए पौधारोपण की Survival, निगरानी एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट चाही गई है। इस क्रम में निदेशालय को संलग्न प्रपत्र-1 में गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराये गये वृक्षारोपण कार्य की सूचना दिनांक 30.04.2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे राज्य सरकार को सूचना से अवगत करवाया जा सके। निकायों से आज दिनांक तक गूगल ड्राइव से प्राप्त सूचना सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त संलग्न प्रपत्र-2 में लगाये गये पौधों में जीवित पौधों से संबंधित सूचना भरकर निदेशालय को दिनांक 30.04.2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

9

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक पत्रांक 17312-584 दिनांक 17.10.2024 में लक्ष्यों का निर्धारण कर पौधारोपण हेतु प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिससे वन विभाग द्वारा समय पर पौधे उपलब्ध करवाये जा सकें। नगरीय निकायों से प्राप्त सूचना अनुसार नगरीय निकायों द्वारा कुल 25.75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य का निर्धारण किया गया, जो कि अभियान की भावना के अनुरूप नहीं है। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची अनुसार विभाग द्वारा नगरीय निकायों को वृक्षारोपण लक्ष्य का निर्धारण किया गया है%&

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्य				
क्र. सं.	नगरीय निकाय	नगरीय निकायों की संख्या	प्रत्येक निकाय को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्य	कुल लक्ष्य
1	नगर निगम (पुराने)	10	2,00,000	20,00,000
	नगर निगम (नवीन)	03	1,00,000	3,00,000
2	नगर परिषद्	50	50,000	25,00,000
3	नगर पालिका	246	7,500	18,45,000
	योग	309		66,45,000

उक्तानुसार नगरीय निकायों में कार्य स्थलों का निर्धारण करने की तैयारी प्रारंभ करते हुए 24.04.2025 तक वन विभाग को पत्र प्रेषित कर पौधों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे एवं संलग्न प्रपत्र-3 में सूचना निदेशालय को दिनांक 30.04.2025 तक उपलब्ध करावें।

उक्त आवंटित लक्ष्यों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरीय निकाय वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने हेतु टाईमलाईन निर्धारित कर संचालित विभागीय योजनाओं अथवा स्वयं के संसाधनों से कार्ययोजना बनाकर वृक्षारोपण का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा पूर्व में जारी विभागीय आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में कार्यरत अन्य विभाग/एजेंसी यथा वन विभाग, नगरीय विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आवासन मण्डल के माध्यम से भी वृक्षारोपण के कार्य करावें।

“सघन वन क्षेत्र” (Dense Plantation) स्थापित करने के लिए सघन वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर, प्राप्त सुझाव अनुसार कम जल उपयोग वाले स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाते हुए कम से कम 70 प्रतिशत पौधे सघन वन क्षेत्र में लगाया जाना सुनिश्चित करें।

वृक्षारोपण एवं “सघन वन क्षेत्र” स्थापित करने हेतु निम्नलिखित टाईमलाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें:-

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित टाईमलाईन
1	स्थल चयन कर तकमीना तैयार करने का कार्य (कार्य स्थल तैयार करने, पौधारोपण हेतु भूमि तैयार करने एवं गड्ढे खोदने का कार्य, कम्पोस्ट/जैविक खाद डालने का कार्य, आवश्यकतानुसार वन विभाग से पौधे क्रय करने, पौधों का सुरक्षित परिवहन करने, पौधे लगाने एवं 03 वर्ष तक रख-रखाव का कार्य जैसे पौधों में पानी देने एवं अन्य सामग्री क्रय करना, घास एवं खरपतवार की निराई-गुड़ाई, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग एवं पौधे की सुरक्षा का प्रावधान सम्मिलित करते हुए)	30 अप्रैल, 2025 तक
2	सक्षम स्तर से कार्य/कार्यों का अनुमोदन	10 मई, 2025 तक
3	पौधारोपण हेतु कार्यस्थल की सफाई, मिट्टी की खुदाई आदि आवश्यक कार्य, वन विभाग से आवश्यकतानुसार पौधारोपण हेतु पौधे क्रय किया जाने का कार्य तथा बाड़ वायरफेन्सिंग आदि के द्वारा सघन वृक्षारोपण क्षेत्र को सुरक्षित करना।	15 मई, 2025 से प्रारंभ कर 30 जून, 2025 तक
4	पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जाना एवं 03 वर्ष हेतु लगाये गये पौधों का रख-रखाव एवं सुरक्षा का कार्य	01 जुलाई, 2025 से प्रारंभ

हरियालों राजस्थान अंतर्गत वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित किये जाने हेतु संलग्न निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समस्त नगरीय निकाय निर्धारित टाईमलाईन अनुसार कार्यवाही करते हुए स्वयं के संसाधनों एवं विभागीय योजनाओं (मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (श्रम मद मात्र), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), NCAP एवं अन्य) से कन्वर्जेंस कर कार्ययोजना तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त लक्ष्य पौधारोपण कार्यों के है तथा इसमें पौधों का वितरण कार्य सम्मिलित नहीं किया जाना है।

वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर, प्राप्त सुझाव अनुसार सघन वृक्षारोपण "मियावाकी पद्धति" के उदाहरण अनुरूप स्थानीय प्रजाति के पौधे उपयोग कर शहरी वन क्षेत्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही हेतु शहरी सीमा में स्थित वेस्टलेण्ड अथवा अनुपयोगी भूमि को प्राथमिकता से चिन्हित करते हुए पौधों की सुरक्षा के प्रावधान (वायर फेंसिंग) प्रस्ताव में सम्मिलित किये जावे। साथ ही पौधारोपण हेतु पार्क/उद्यान, मोक्षधाम, कब्रिस्तान, FSTP's, STP's, Landfill Sites, MRF Centres, Processing Plant, Legacy Waste Site, तालाब की पाल पर, नदी के बहाव क्षेत्र को छोड़कर इत्यादि ऐसे स्थलों का चयन किया जावे, जहां पौधों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं हो।

उक्त कार्यों के प्रस्तावों में कार्य स्थल तैयार करने, पौधारोपण हेतु भूमि तैयार करने एवं गड्ढे खोदने का कार्य, कम्पोस्ट/जैविक खाद डालने का कार्य, आवश्यकतानुसार वन विभाग से ही पौधे क्रय करने, पौधों का सुरक्षित परिवहन करने, पौधे लगाने एवं 03 वर्ष तक रख-रखाव का कार्य जैसे पौधों में पानी देने एवं अन्य सामग्री क्रय करना, घास एवं खरपतवार की निराई-गुड़ाई, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग एवं पौधों की सुरक्षा का प्रावधान सम्मिलित किये जावे। स्थानीय प्रजाति के कम जल खपत वाले पौधे जैसे- खेजड़ी, पारस, पीपल, आकाश-नीम, कनेर, गूलर, बरगद, नीम, पीपल, शीशम, सेमल, कचनार, सहजना, कदम्ब, लेसुवा, बोगेनवेलिया, शहतूत देशी, महुआ, बेरी, चांदनी, करंज इत्यादि उत्तम गुणवत्ता के पौधों का चयन कर वन विभाग से प्राप्त करें।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी टाईमलाईन एवं निर्धारित लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उपरोक्त वृक्षारोपण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर के नोडल नगर निगम/परिषद् में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता (पर्यावरण) एवं उद्यानविज्ञ (जहां पदस्थापित हो) द्वारा नियमित रूप से जिले की समस्त नगरीय निकायों में उक्त कार्यों का निरीक्षण तथा पौधों की देखरेख कार्य की प्रगति की जिला स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित करें। निकाय स्तर एवं जिला नोडल नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्) हरियालो राजस्थान के संबंध में संलग्न प्रपत्र-4 में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसकी सूचना भी दिनांक 30.04.2025 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इसके अतिरिक्त समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), राजस्थान संभाग स्तर पर निकायों के वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला नोडल नगरीय निकाय से प्राप्त कर एवं संकलित कर निदेशालय को प्रतिमाह की 02 तारीख को प्रेषित करावें।

अतः उक्त टाईमलाईन अनुसार वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य संपादित करवाया जाना एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "हरियालो राजस्थान" को सफल बनाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करावें तथा वांछित सूचनाएं निर्धारित समय में निदेशालय को उपलब्ध करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/5506-5609

दिनांक: 17.04.2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, राजस्थान, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. आयुक्त एवं सदस्य सचिव, जिला नोडल नगरीय निकाय (MSRGY), राजस्थान।
11. स्टेट एम.आई.एस मैनेजर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. सुरक्षित पत्रावली।


(अरुण व्यास)
मुख्य अभियंता